फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री जयन्त जोरसिया निवासी 27, गली नम्बर 17, बरकत नगर, जयपुर तहसील व जिला जयुपर

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 32/2023**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक **07.08.2023**

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पत्रांक एफ.1( )सू0अ0,05/प्र.अपील/2023/498–499 दिनांक 05.07.2023 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द के न्याय अनुभाग से संबंधित होने से लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग को पत्रांक 282 दिनांक 31.03.2023 को पत्र प्रेषित किया गया। प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग के पत्रांक 4684 दिनांक 26.06.2023 से कार्यालय लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को सूचना उपलब्ध करा दी गई है। तथा लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द के पत्रांक 484 दिनांक 03.07.2023 से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(6) के तहत नियमानुसार वांछित बिना किसी प्रभार के अधिप्रमाणित सूचना (उक्त सूचना के पृष्ठ 01 है) जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थी को प्रेषित कि गई एवं सूचना का अधिकार अधिनियम ऑनलाईन पोर्टल पर प्रार्थी को क्रमांक 4472684515 दिनांक 03.07.2023 से अधिप्रमाणित सूचना की प्रति अपलोड कर प्रार्थी अपीलार्थी को जरिये ऑनलाईन प्रेषित कर, सूचना से अवगत करा दिया गया है।

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक से उपलब्ध करा दी जाने से उक्त प्रकरण खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)